पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–21] रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 मार्च, 2020 ई0 (फाल्गुन 24, 1941 शक सम्वत्) [संख्या–11

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	175–177	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	199–208	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	09–10	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	111–112	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

07 फरवरी, 2020 ई0

संख्या 04/नो0के0/XXXVI–A–1/2020–07 नो0के0/2002–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, मा0 राज्यपाल, श्री विजय प्रकाश पाण्डे, अधिवक्ता को दिनांक 07.02.2020 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिए जिला अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, यह भी निदेश देते है कि श्री विजय प्रकाश पाण्डे का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification **No. 04/No-K/XXXVI-A-1/2020-07No-K/2002**, Dated February 07, 2020.

NOTIFICATION

Appointment

February 07, 2020

No. 04/No-K/XXXVI-A-1/2020-07No-K/2002–In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Vijay Prakash Pandey, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 07.02.2020 for Tehsil Ranikhet, District Almora and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Vijay Prakash Pandey be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

19 फरवरी, 2020 ई0

संख्या 04/नो0डी0/XXXVI–A–1/2020–924(24)/92–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, मा0 राज्यपाल, सुश्री रश्मि चन्दोला, अधिवक्ता को दिनांक 19.02.2020 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिए तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, यह भी निदेश देते है कि सुश्री रश्मि चन्दोला का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,

सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification **No. 04/No-D/XXXVI-A-1/2020-924(24)/92**, Dated February 19, 2020.

NOTIFICATION

Appointment

February 19, 2020

No. 04/No-D/XXXVI-A-1/2020-924(24)/92–In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Ms. Rashmi Chandola, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 19.02.2020 for Tehsil Kotdwar, District Pauri Garhwal and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Ms. Rashmi Chandola be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

PREM SINGH KHIMAL,

Secretary, Law-cum-L.R.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 हिन्दी गजट/110–भाग 1–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 मार्च, 2020 ई० (फाल्गुन 24, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

February 17, 2020

No. 20/XIV-a/44/Admin.A/2012–Sri Sachin Kumar, 4th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 23.01.2020 to 06.02.2020.

NOTIFICATION

February 18, 2020

No. 27/XIV-a/31/Admin.A/2016–Sri Vishal Vashisht, Judicial Magistrate-I, Roorkee, District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 33 days *w.e.f.* 06.01.2020 to 07.02.2020 with permission to prefix 05.01.2020 as Sunday holiday and suffix 08.02.2020 & 09.02.2020 as 2nd Saturday and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

February 18, 2020

No. 28/XIV-a/39/Admin.A/2017–Ms. Shalini Dadar, Judicial Magistrate-II, Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 27.01.2020 to 07.02.2020 with permission to prefix 26.01.2020 as Republic Day holiday and suffix 08.02.2020 & 09.02.2020 as 2nd Saturday and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

February 26, 2020

No. 29/XIV/24/Admin.A/2008–Sri Uday Pratap Singh, Civil Judge (Sr. Div.), Rishikesh, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 11 days *w.e.f.* 28.01.2020 to 07.02.2020 with permission to suffix 08.02.2020 & 09.02.2020 as 2nd Saturday and Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 26, 2020

No. 30/XIV/64/Admin.A–Smt. Sujata Singh, 1st Additional District Judge, Dehradun/Special Judge, Anti Corruption is hereby sanctioned child care leave for 16 days *w.e.f.* 07.02.2020 to 22.02.2020 with permission to suffix 23.02.2020 as Sunday holiday, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011 dated 30.05.2011 issued by Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 26, 2020

No. 31/XIV-a/25/Admin.A/2011–Sri Shahzad Ahmad Wahid, 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned paternity leave for 15 days *w.e.f.* 03.02.2020 to 17.02.2020, with permission to prefix 02.02.2020 as Sunday holiday, in terms of G.O. No. 819/XXXVII(7)34/2010-11 dated 31.12.2013.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालयः राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

05 फरवरी, 2020 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 7288/रा0कर आयु0 उत्तरा0/विधि–अनुभाग/Noti.Vol.II/2019–20/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएँ 50/2020/10(120)/XXVII(8)/2019/CT–04, दिनांक 03 फरवरी, 2020; 01/2020/17(120)/XXVII(8)/2019/ON–10; 130/2020/17(120)/XXVII(8)/2019/CT–74 तथा 131/2020/17(120)/XXVII(8)/2019/CT–75 समदिनांकित 04 फरवरी, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः अधिसूचना संख्या 116/2018, दिनांक 31 जनवरी, 2018 में संशोधन; उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (दसवाँ कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2019; अधिसूचना संख्या 116/2018, दिनांक 31 जनवरी, 2018 में दूसरे परंतुक के पश्चात् परंतुक अंतःस्थापित किए जाने तथा उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (नौवाँ संशोधन) नियम, 2019 अधिसूचित किए गए हैं।

उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर, अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

03 फरवरी, 2020 ई0

संख्या 50/2020/10(120)/XXVII(8)/2019/CT–04–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा–128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या 116/2018/5(120)/XXVII(8)/2017/CT–4, दिनांक 31 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्–

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परंतुक में:–

"10 जनवरी, 2020" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "17 जनवरी, 2020" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे"।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 50/2020/10(120)/XXVII(8)/2019/CT-04**, dated February 03, 2020 for general information.

NOTIFICATION

February 03, 2020

No. 50/2020/10(120)/XXVII(8)/2019/CT-04–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendment in the notification No. 116/2018/5(120)/XXVII(8)/2017/CT-4 dated 31st January, 2018 namely:–

In the said notification, in the third proviso for the figures, letters and word "10th January, 2020", the figures, letters and word "17th January, 2020" shall be substituted.

उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर (दसवाँ कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2019

04 फरवरी, 2020 ई0

संख्या 01/2020/17(120)/XXVII(8)/2019/ON–10–उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि इनपुट सेवा वितरक, धारा–51 या धारा–52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अन्त के पश्चात् आने वाले इकतीस दिसम्बर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा;

और, उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन में करदाताओं को कुछ तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा 01 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की कालावधि के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी है और जिसके कारण उक्त धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं।

अतः, अब, राज्यपाल उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्–

1. संक्षिप्त नाम–इस आदेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (दसवाँ कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2019 है।
2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 के स्पष्टीकरण में, "31 दिसम्बर, 2019" अंकों और शब्द के स्थान पर "31 जनवरी, 2020" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 01/2020/17(120)/XXVII(8)/2019/ON-10**, dated February 04, 2020 for general information.

UTTARAKHAND GOODS AND SERVICES TAX (TENTH REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2019

February 04, 2020

No. 01/2020/17(120)/XXVII(8)/2019/ON-10–WHEREAS, sub-section (1) of section 44 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017(Act No. 06 of 2017)(hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying the tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year.

AND, WHEREAS, for the purpose of furnishing of the annual return electronically for every financial year as referred to in sub-section (1) of section 44 of the said Act, certain technical problems are being faced by the taxpayers as a result whereof, the said annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 could not be furnished by the registered persons, as referred to in the said sub-section (1) and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following Order, to remove the difficulties, namely:–

1. **Short title:**–This Order may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Tenth Removal of Difficulites) Order, 2019.
2. In section 44 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, in the Explanation, for the figures, letters, and words "31st December, 2019", the figures, letters and words "31st January, 2020" shall be substituted.

अधिसूचना

04 फरवरी, 2020 ई०

संख्या 130/2020/17(120)/XXVII(8)/2019/CT–74–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा–128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या 96/2019/14(120)/XXVII(8)/2018/CT–75, दिनांक 24 जनवरी, 2019 के द्वारा संशोधित अधिसूचना संख्या 116/2018/5(120)/XXVII(8)/2017/CT–4 दिनांक 31 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्–

उक्त अधिसूचना में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"परन्तु यह और भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलम्ब फीस की रकम ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो मास/तिमाही जुलाई, 2017 से नवम्बर, 2019 तक के लिए, देय तारीख तक प्रारूप जीएसटीआर–1 में जावक पूर्तियों के ब्यौरे देने में असफल रहे हैं, किन्तु उन्होंने 19 दिसम्बर, 2019 से 10 जनवरी, 2020 तक की बीच की अवधि में उक्त ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर–1 में दे दिए है।"

2. यह अधिसूचना 19 दिसम्बर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 130/2020/17(120)/XXVII(8)/2019/CT-74**, dated February 04, 2020 for general information.

NOTIFICATION

February 04, 2020

No. 130/2020/17(120)/XXVII(8)/2019/CT-74–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendment in the notification No. 116/2018/5(120)/XXVII(8)/2017/CT-4 dated 31st January, 2018 as amended vide Notification No. 96/2019/14(120)/XXVII(8)/2018/CT-75 dated 24th January, 2019, namely:–

In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who failed to furnish the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** for the months/quarters from July, 2017 to November, 2019 by the due date but furnishes the said details in **FORM GSTR-1** between the period from 19th December, 2019 to 10th January, 2020."

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 19th day of December, 2019.

अधिसूचना

04 फरवरी, 2020 ई0

संख्या 131/2020/17(120)/XXVII(8)/2019/CT–75–राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्–

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (नौवाँ संशोधन) नियम, 2019

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर (नौवाँ संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 से प्रवृत्त होंगे।

नियम 36 में संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 36 के उपनियम (4) में, 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी, "20 प्रतिशत" अंक और शब्द के स्थान पर "10 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जायेंगे।

नियम 86क का अन्तःस्थापन

3. उक्त नियमों के नियम 86 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"86क. इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में उपलब्ध रकम के उपयोग की शर्तें:–

(1) आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो सहायक आयुक्त की श्रेणी से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में उपलब्ध इनपुट कर के प्रत्यय का कपटपूर्वक उपभोग किया गया है या वह अपात्र है, उस सीमा तक जिस तक वह–

(क) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग,–

(i) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जिसे अस्तित्वहीन पाया गया है या जो ऐसे किसी स्थान से, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, कोई कारबार नहीं चला रहा है, द्वारा जारी; या

(ii) माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति के बिना, कर बीजकों या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर किया गया है; या

(ख) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग, किसी ऐसी पूर्ति के संबंध में जिसकी बाबत प्रभारित कर सरकार को संदत्त नहीं किया गया है; कर बीजकों या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर किया गया है; या

(ग) इनुपट कर के प्रत्यय का उपभोग करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अस्तित्वहीन पाया जाता है या ऐसे किसी स्थान से, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, कोई कारबार नहीं चला रहा है;

या

(घ) इनपुट कर के किसी प्रत्यय का उपभोग करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कब्जे में कर बीजक या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित कोई अन्य दस्तावेज नहीं है,

लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, धारा 49 के अधीन किसी दायित्व के निर्वहन के लिए या किसी अनुपयोजित रकम के किसी प्रतिदाय के दावे के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में से ऐसे प्रत्यय के समतुल्य किसी रकम का विकलन अनुज्ञात नहीं कर सकेगा।

(2) आयुक्त या उपनियम (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी यह समाधान हो जाने पर कि इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते के विकलन को अनुज्ञात करने की यथा उपरोक्त शर्तें अस्तित्व में नहीं है, ऐसे विकलन को अनुज्ञात कर सकेगा।

(3) ऐसे निर्बन्धन, उस तारीख से, जिसको ऐसे निर्बन्धन अधिरोपित किए जाएँ, एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेंगे।

नियम 138ङ में संशोधन

4. उक्त नियमों में, 11 जनवरी, 2020 से प्रभावी, नियम 138ङ में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"(ग) खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति ने, यथास्थिति, दो मास के लिए या दो तिमाही के लिए जावक पूर्तियों का विवरण नहीं दिया है।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 131/2020/17(120)/XXVII(8)/2019/CT-75**, dated February 04, 2020 for general information.

NOTIFICATION

February 04, 2020

No. 131/2020/17(120)/XXVII(8)/2019/CT-75–In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor is pleased to make the following rules further to amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:–

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2019

Short Title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2019.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force from the 26th day of December,2019

Amendment in Rule 36

2. In the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from the 1st January, 2020, in rule 36, in sub-rule(4), for the figures and words "20 percent., the figures and words "10 percent." shall be substituted.

Insertion of Rule 86A

3. In the said rules, after rule 86, the following rule shall be inserted, namely:–

86A. Conditions of use of amount available in electronic credit ledger.–

(1) The Commissioner or an officer authorized by him in this behalf, not below the rank of an Assistant Commissioner, having reasons to believe that credit of input tax available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible in as much as–

(a) the credit of input tax has been availed on the strength of tax invoices or debit notes or any other document prescribed under rule 36–

(i) issued by a registered person who has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained; or

(ii) without receipt of goods or services or both; or

(b) the credit of input tax has been availed on the strength of tax invoices or debit notes or any other document prescribed under rule 36 in respect of any supply, the tax charged in respect of which has not been paid to the Government; or

(c) the registered person availing the credit of input tax has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained; or

(d) the registered person availing any credit of input tax is not in possession of a tax invoice or debit note or any other document prescribed under rule 36,

may, for reasons to be recorded in writing, not allow debit of an amount equivalent to such credit in electronic credit ledger for discharge of any liability under section 49 or for claim of any refund of any unutilized amount.

(2) The Commissioner or the officer authorized by him under sub-rule(1) may, upon being satisfied that conditions for disallowing debit of electronic credit ledger as above, no longer exist, allow such debit.

(3) Such restriction shall cease to have effect after the expiry of a period of one year from the date of imposing such restriction."

Amendment in Rule 138E

4. In the said rules, with effect from the 11th January, 2020, in rule 138E, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:–

"(c) being a person other than a person specified in clause (a), has not furnished the statement of outward supplies for any two months or quarters, as the case may be."

By Order,

AMIT SINGH NEGI,

Secretary.

(विधि–अनुभाग)

15 फरवरी, 2020 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 7540/रा0कर आयु0 उत्तरा0/विधि–अनुभाग/Noti.Vol.II/2019–20/देहरादून–आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड द्वारा जारी आदेश संख्या 7513/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2019–20/ON–1, दिनांक 14 फरवरी, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आदेश संख्या 8232/2018–19, दिनांक 02 फरवरी, 2019 को अधिक्रान्त करते हुए, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 117(1क) के अन्तर्गत प्ररुप जीएसटी ट्रान–1 में घोषणा दाखिल किए जाने की समय सीमा दिनांक 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाए जाना अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर, अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड

आदेश

14 फरवरी, 2020 ई0

विषयः उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 117(1क) के अन्तर्गत प्ररूप जीएसटी ट्रान–1 में दाखिल किए जाने की समय सीमा बढ़ाए जाने विषयक।

संख्या 7513/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2019–20/ON–1–उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 117 के उपनियम (1क) सपठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड के आदेश संख्या 8232/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2018–19, दिनांक 02 फरवरी, 2019 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे विखण्डन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मैं, आयुक्त, एतद्द्वारा, पंजीकृत व्यक्तियों के प्रवर्ग, जिनके द्वारा निर्धारित तिथि तक सामान्य पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं के कारण उक्त घोषणा दाखिल नहीं की जा सकी है तथा जिनके मामले परिषद् द्वारा संस्तुत किए गए हैं, के लिए प्ररूप जीएसटी ट्रान–1 में घोषणा दाखिल किए जाने की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाती हूँ।

सौजन्या,
आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

Order

14 February, 2020

Subject: Extension of time limit for submitting the declaration in FORM GST TRAN-1 under rule 117(1A) of the Uttarakhand Goods and Service Tax Rules, 2017 in certain cases.

No. 7513/CSTUK/GST-Vidhi Section/2019-20/ON-1–In exercise of the powers conferred by sub-rule (1A) of rule 117 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 read with section 168 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, on recommendations of the Council and in supersession of Order of Commissioner State Tax Uttarakhand (State Tax Department) No. 8232/CSTUK/GST-Vidhi Section/2018-19/ON-01, dated 2nd February, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, I, the Commissioner hereby extends the period for submitting the declaration in FORM GST TRAN-1 till 31st March, 2020, for the class of registered persons who could not submit the said declaration by the due date on account of technical difficulties on the common portal and whose cases have been recommended by the Council.

SOWJANYA,
Commissioner State Tax,
Uttarakhand.

(विधि–अनुभाग)

13 फरवरी, 2020 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 7485/रा0कर आयु0 उत्तरा0/विधि–अनुभाग/Noti.Vol.II/2019–20/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 118/2020/3(120)/XXVII(8)/2019/CT, दिनांक 12 फरवरी, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2020 से उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2019 की धारा 14 में प्राविधानित उपबंध प्रवृत्त होना अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर, अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

12 फरवरी, 2020 ई0

संख्या 118/2020/3(120)/XXVII(8)/2019/CT–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 13, वर्ष 2019) की धारा–1 की उपधारा (2) में प्राविधानित उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 जनवरी, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिससे उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 13, वर्ष 2019) की धारा 14 में प्राविधानित उपबंध प्रवृत्त होंगे।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 118/2020/3(120)/XXVII(8)/2019/CT**, dated February 12, 2020 for general information.

NOTIFICATION

February 12, 2020

No. 118/2020/3(120)/XXVII(8)/2019/CT–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by provisions mentioned in sub-section (2) of section 1 of the Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019 (Act No. 13 of 2019), the Governor, is pleased to allow to appoint the 1st day of January, 2020, as the date from which the provisions mentioned in section 14 of the Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019 (Act No. 13 of 2019) shall come into force.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

विपिन चन्द्र,
अपर आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 हिन्दी गजट/110–भाग 1–क–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 मार्च, 2020 ई० (फाल्गुन 24, 1941 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय, नैनीताल

सूचना

19 फरवरी, 2020 ई०

पत्रांक 1005/पंचास्थानि/उप प्रधान–निर्वाचन/2020–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या–4212/रा०नि०आ०अनु०–2/2836/2019, दिनांक 18 फरवरी, 2020 के क्रम में, मैं, सविन बंसल, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०), जनपद नैनीताल, एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि जनपद नैनीताल की 471 संगठित ग्राम पंचायतों के उप प्रधान, ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन चिह्न आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
26.02.2020 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक)	26.02.2020 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)	26.02.2020 (दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक)	26.02.2020 (अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	26.02.2020 (अपराह्न 01:30 बजे से अपराह्न 03:30 बजे तक)	26.02.2020 (अपराह्न 04:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

उप प्रधान के पद हेतु नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन पत्रों की जाँच, नाम वापसी, निर्वाचन चिन्ह (प्रतीक) आवंटन, मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कराई जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज [(सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994] (उत्तराखण्ड राज्य में यथासंशोधित एवं यथाप्रवृत्त) के नियम–117(1) में दी गई व्यवस्था के अनुसार उप प्रधान के सामान्य निर्वाचन के लिए संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस सूचना में मतदान हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक को ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जायेगी।

उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार–पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित गाँवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के सूचना–पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किए जायेंगे।

उप प्रधान, ग्राम पंचायत पद के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 19.02.2020 से दिनांक 22.02.2020 एवं दिनांक 24 फरवरी, 2020 तथा 25 फरवरी, 2020 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक तथा तद्‌परान्त 26.02.2020 को पूर्वाह्न 08:00 बजे से पूर्वाह्न 09:30 बजे तक संबंधित ग्राम पंचायत में निर्दिष्ट स्थान पर की जायेगी।

जनपद नैनीताल में उप प्रधान ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन का विवरण

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	कुल ग्राम पंचायत की संख्या	संगठित ग्राम पंचायतों की संख्या, जहाँ उप प्रधान का निर्वाचन किया जायेगा	अभ्युक्ति (जहाँ ग्राम पंचायत संगठित नहीं होने के कारण उप प्रधान सामान्य निर्वाचन नहीं हो रहा है
1.	ओखलकाण्डा	75	74	ग्राम पंचायत जोस्यूड़ा में ग्राम प्रधान के नामांकन न होने के कारण अवशेष है।
2.	धारी	41	38	1. ग्राम पंचायत अम्दो, 2. हरिनगर सरना, 3. पनियाली में वार्ड सदस्य पूर्ण न होने के कारण अवशेष है
3.	रामगढ़	59	58	ग्राम पंचायत छियोड़ी में वार्ड सदस्य पूर्ण न होने के कारण अवशेष है
4.	बेतालघाट	75	73	1. ग्राम पंचायत रोपा में प्रधान पद पर नामांकन न होने के कारण अवशेष है। 2. ग्राम पंचायत सीम में ग्राम प्रधान व वार्ड सदस्य नामांकन न होने के कारण अवशेष है
5.	भीमताल	60	60	—
6.	हल्द्वानी	60	60	—
7.	कोटाबाग	56	55	ग्राम पंचायत बगड़तल्ला में वार्ड सदस्य पूर्ण न होने के कारण अवशेष है
8.	रामनगर	53	53	—
	योगः—	479	471	—

सविन बंसल,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0),
नैनीताल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 हिन्दी गजट/110–भाग 3–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 मार्च, 2020 ई0 (फाल्गुन 24, 1941 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

In my Indian Navy documents the name of my wife is written Bimla Devi, whereas her correct and full name is Mrs. Vimla Nautiyal wife of Shri Ramesh Chandra Nautiyal House No. 82-Doon Vihar Colony, Rajpur Road, Dehradun. Her correct name Vimla Nautiyal to be known in future.

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी है।

Ramesh Chandra Nautiyal
House No. 82-Doon Vihar Colony,
Rajpur Road, Dehradun. 248001

सूचना

IN my documents my name is written A. Samad while it's expanded form is Abdus Samad S/o Rashid Ali R/o 197, Satti Mohalla Roorkee, Haridwar (Uttarakhand)

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

Abdus Samad S/o Rashid Ali
R/o 197, Satti Mohalla
Roorkee, Haridwar (Uttarakhand)

सूचना

मैंने अपना नाम राजू से बदलकर राजू खनेड़ा कर लिया है। भविष्य में मुझे राजू खनेड़ा पुत्र झगड़ी राम नाम से जाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

राजू खनेड़ा पुत्र झगड़ी राम
निवासी ग्राम पास्तोली, पोस्ट
कुलसारी, जिला चमोली,
उत्तराखण्ड–246481, वर्तमान
सेवारत पता नं0–870113692,
उपनिरी0/जी0डी0 राजू खनेडा
भा0ती0सी0पु0 अकादमी क0वि0 मंसूरी

सूचना

I Hitherto known as Thongram Vijay Singh son of Thongram Mani Singh residing at the Divine Life Society Sivananda Ashram Rishikesh P.O. Shivananda Nagar 249192. Distt. Tehri Garhwal Uttarakhand India have changed both my and my father name after taking Sanyas on the 24th Feb 2017 and then onward shall be known as Swami Paramatmananda Saraswati son of Swami Sivananda Saraswati in every walk of life.

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

Swami Paramatmananda Saraswati
S/o Swami Sivananda Saraswati
R/o The Divine Life Society
Sivananda Ashram Rishikesh P.O.
Shivananda Nagar 249192. Distt.
Tehri Garhwal Uttarakhand India

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 हिन्दी गजट/110–भाग 8–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।